विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

यांत्रिकी विभाग

दुरभाष–(यांत्रिकी विभाग) 0734–2511220, मो.न. 9826031431

(कुलसचिव कार्यालय) 0734–2514277 फेक्स– 2518181

क्रमांक / यांत्रिकी / 2017–18 / 292 दिनांकः– 5/01/2018

कार्य का नामः–विक्रम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक विभाग उपयोगार्थ टेक्सीकोटे में पंजीबद्ध वाहन किराये पर उपलब्ध कराने बाबत्।

विषयः– संलग्न निविदा दर प्र–पत्र अनुसार टेक्सीकोटे में पंजीबद्ध वाहन किराये पर लेने हेतु सिमित निविदा आमंत्रण किये जाने बाबत्।

संलग्न निविदा दर प्र–पत्र अनुसार विक्रम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक विभाग में टेक्सीकोटे में पंजीबद्ध वाहन किराये पर लेने के लिये स्थानीय टूर एवं ट्रेवल्स् एजेंसी का कार्य करने वाले दक्ष व्यवसाईयों / फर्म / संस्थाओं से बंद लिफाफे में संलग्न शर्तो के अधीन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। उक्त सिमित निविदा दर दिनांक 19/01/2018 समय 3.30 बजे तक स्पीड पोस्ट डाक द्वारा कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, यांत्रिकी विभाग, उज्जैन के पते पर भेजने का कष्ट करें।

साथ ही लिफाफे के ऊपर टेक्सीकोटे में पंजीबद्ध वाहन किराये पर लेने हेतु सिमित निविदा दर का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य हैं। उपरोक्त दर में समस्त करो को सम्मिलित माना जावेगा। निविदा पत्र एवं निविदा शर्ते विश्वविद्यालय की वेब साईट www.vikramuniv.net पर भी उपलब्ध हैं।

कुलसचिव
विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

(सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु)

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

निविदा दर प्र–पत्र

1. निविदाकार व्यवसायी/फर्म/संस्था का नाम :–..
2. पुरा पता :–..
3. दुरभाष क्रमांक :–..
4. मोबाईल क्रमांक :–..
5. ई–मेल :–..
6. पेन नम्बर :–..
7. जीएसटी. नम्बर (यदि लागू हो) :–..

निविदाकार को केवल टेक्सीकोटे में पंजीबद्ध वाहन के किराये की दर दी जाना है। वाहन चालक एवं ईंधन की व्यवस्था निविदाकार को स्वयं अपने स्तर से करना होगी। किराये पर दिये जाने वाले प्रत्येक वाहन की दरें वाहन वार कॉलम में भरें।

क्र.	वाहन का प्रकार	स्थानीय यात्रा हेतु न्युनतम 1500 किमी. प्रतिमाह तथा प्रतिदिन 08 घण्टे के लिये मासिक दर		स्थानीय यात्रा हेतु न्यूनतम 150 किमी. प्रतिदिन के लिये फिक्स चार्ज एवं अतिरिक्त प्रतिकिमी दर		बाहरी यात्रा हेतु न्युनतम 250 किमी. प्रतिदिन के लिये फिक्स चार्ज एवं अतिरिक्त प्रतिकिमी दर	
		1500 किमी. प्रतिमाह	अतिरिक्त प्रति किमी. की दर	150 किमी. प्रतिदिन लिये फिक्स चार्ज	अतिरिक्त प्रति किमी. की दर	250 किमी. प्रतिदिन के लिये फिक्स चार्ज	अतिरिक्त प्रति किमी. की दर
1	टाटा इण्डिको कार						
2	मरूती स्वीफ्ट डिजायर						
3	महिन्द्रा बोलेरो						
4	शेवर्ले टवेरा						
5	फोर्स तूफ़ान						
6	महिन्द्रा स्कार्पियों						
7	टोयोटा इनोवा						

मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता निविदाकार ने निविदा की समस्त शर्तो को भली प्रकार पढकर समझ लिया हैं एवं निविदा की समस्त शर्ते मुझे स्वीकार है। मैं उपरोक्त प्रस्तावित दरों पर कार्य करने के लिये स्वीकृति एवं सहमति देता हूँ।

दिनांक :– ....

हस्ताक्षर निविदाकार

फर्म/संस्था की सील सहित

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

विक्रम विश्वविद्यालय के उपयोगार्थ टेक्सीकोटे में पंजीबद्ध वाहनों (टाटा इंडिगो, मारुति स्वीफ्ट डिजायर, बोलेरो, टवेरा, तुफान, स्कार्पियो एवं इनोवा) को किराये पर लेने के लिये उज्जैन नगर के स्थानीय टूर एवं ट्रेवल्स् ऐजेंसी का कार्य करने वाले दक्ष व्यवसाईयों/फर्म/संस्थाओं से बंद लिफाफे में निम्नांकित शर्तो के अधीन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं–

वाहन किराये पर लेने के लिये रेट कांट्रेक्ट हेतु निविदा की शर्तें:–

1. **निविदाकार धरोहर राशी के रुप में राशी रु. 5000/– का बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक जो कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के पक्ष में देय हो, लिफाफे में अनिवार्यतः रखे, इसके अभाव में भी निविदा मान्य नही होगी।**
2. सफल निविदाकार को धरोहर राशी रु. 5000/- तथा अतिरिक्त रु. 5000/–इस प्रकार कुल रु. 10000/–सुरक्षानिधि के रूप में विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा दर बंद लिफाफे निविदा शर्तो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्पीड पोस्ट डाक से दिनांक 19/01/2018 को अपरान्ह् 3.30 बजे तक कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, यांत्रिकी विभाग, उज्जैन के पते पर पहुँच जाना चाहिये। डाक व्यवस्था में विलम्ब के लिये विश्वविद्यालय प्रतिक्षुत नही होगा।
4. प्राप्त निविदा लिफाफो को विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के प्रशासनिक कार्यालय "माधव भवन" में निर्धारित समिति द्वारा खोले जाएगें। निविदा खोलते समय निविदाकार स्वयं अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

निविदाकार के लिये अर्हताएँ:–

1. निविदाकार व्यवसायी/फर्म/संस्था के पास वाहन किराये पर प्रदाय करने संबंधी पंजीयन प्रमाण–पत्र (गुमास्ता लाईसेंस) होना चाहिये। निविदाकार इस प्रमाण–पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रति लिफाफे में रखें।
2. निविदाकार की फर्म कम से कम दो वर्ष पूर्व की होना चाहिये, अर्थात् निविदाकार को किराये के वाहन प्रदाय करने का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिये।
3. निविदाकार के पास आयकर स्थायी खाता क्र (पेन) की छायाप्रति लिफाफे में रखे।
4. यदि निविदाकार जीएसटी. के दायरे में आ रहा हैं, तो उसे जीएसटी. पंजीयन का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति लिफाफे में भेजना सुनिश्चित करें, लेकिन निविदाकार यदि सर्विस टेक्स के दायरे में नही आता हैं, तो उसे इस संबंध में सनद लेखापाल (सीए) का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. निविदाकार को क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय में टेक्सीकोटे में पंजीकृत वाहन ही विश्वविद्यालय को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना होगा।
6. निविदाकार द्वारा विश्वविद्यालय की मॉग के अनुसार टेक्सीकोटे में पंजीबद्ध वाहन ही उपलब्ध कराना होगा। निविदाकार को मुख्यालय पर भ्रमण हेतु फिक्स्ड चार्ज एवं मुख्यालय के बाहर भ्रमण हेतु वेरिएबल चार्ज पृथक–पृथक किराये के वाहन हेतु देना होगे।
7. सफल निविदाकार द्वारा स्थानीय एवं बाहरी यात्राओं के लिये वर्ष–2015 एवं उसके पश्चात् की टेक्सीकोटे में पंजीकृत वाहन ही किराये पर उपलब्ध करना होंगे। किराये के वाहन चलाने हेतु वाहन चालक के पास स्थायी ड्रायविंग लाईसेंस होना अनिवार्य हैं। वाहन चालक का व्यवहार सोम्य एवं मधुर हो, यह सुनिश्चित् करना सफल निविदाकार का दायित्व होगा। सफल निविदाकार किराये के वाहन की मॉग विश्वविद्यालय को होने पर वाहन के ईधन का फुलटेंक कर वाहन को विश्वविद्यालय में उपलब्ध करायेंगा।

8. विश्वविद्यालय द्वारा किराये के वाहन लिये जाने के लिये विधिवत रूप से कुलसचिव के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया जावेगा।

9. सफल निविदाकार उपलब्ध कराये गये किराये के वाहन का मासिक बिल बनाकर मय ड्यूटी स्लीप संलग्न कर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक वाहन प्रभारी को देंगे। बिल के साथ संबंधित आदेश की प्रति संलग्न करना होगी। वाहन का उपयोग जिस अधिकारी द्वारा किया गया हैं, उसे ड्यूटी स्लीप पर अनिवार्यतः हस्ताक्षर करना होगें तथा संबंधित विभाग के अधिकारी ड्यूटी स्लीप के आधार पर बिल का सत्यापन करेंगे।

10. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को समुचित मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित करना होगा। यह अनुबंध प्रथमतः एक वर्ष के लिये होगा। निविदा का कार्य निष्पादन संतोषजनक होने पर उभय पक्षों की सहमति से इसे आगामी वर्षो के लिये बढ़ाया जा सकेगा

11. निविदाकार को अनुबंध सम्पादित करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा किराये के वाहन हेतु आदेश प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय को वाहन उपलब्ध कराना होगा।

12. **पेनल्टीः–** निविदाकार द्वारा समय पर किराये का वाहन उपलब्ध नही कराने की दशा में ऐसे विलम्बित कार्य के लिये बिलों की राशी में से 10 प्रतिशत कटौती दण्ड स्वरूप की जाएगी। यदि निविदाकार विश्वविद्यालय में उसे निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध न कराने तथा कार्य समय पर नहीं करने तथा गुणवत्ता पूण कार्य नही करने की चूक करने की त्रुटि/चूक बार–बार करेगा, तो प्रशासनिक अधिकारीयों की रिपोर्ट के आधार पर उसका अनुबंध समाप्त करने का विश्वविद्यालय को अधिकार रहेगा। इस दशा में निविदाकार की धरोहर राशी विश्वविद्यालय द्वारा राजसात कर ली जावेगी।

13. कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को अधिकार होगा, कि वह बिना कारण बताएँ किसी भी एक अथवा अधिक निविदाओं को निरस्त कर दे।

14. कभी–भी कोई अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा।

15. भुगतान के समय नियमानुसार कर कटौती की जाएगी, भुगतान अंकेक्षण उपरांत रेखांकित चैक से किया जाएगा।

16. किसी भी विवाद की स्थिति में कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का निर्णय उभय पक्षों के लिये अंतिम एंव बंधनकारी होगा।

17. न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जिला उज्जैन का रहेगा।

कुलसचिव

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन